 सत्र प्रकरण क. 693/2023

न्यायालय–जितेन्द्र सिंह कुशवाह, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर(म.प्र.)

Registration No. -	ST 693/2023
Filing No	- 38247 /2023
CNR No	- MP0901- 048082-2023
FIR No.	- 572/2023

अभियोगी	म.प्र. राज्य जरिये आरक्षी केन्द्र प्रभारी खजराना, जिला–इंदौर (म.प्र.)
अभियोजन की ओर से	श्री सुरेन्द्र वास्केल, ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्त कमांक–01	इलियास अहमद पिता इरशाद अहमद, उम्र–33 वर्ष, व्यवसाय–सिलाई कार्य, निवासी–गरीब नवाज कॉलोनी, खजराना, इंदौर (म.प्र.)
अभियुक्त कमांक–02	प्रार्थना शिवहरे पिता श्री मनोज शिवहरे, उम्र–27 वर्ष, व्यवसाय–कुछ नहीं निवासी–सिद्धार्थ नगर के सामने, जिला–शाजापुर (म.प्र.)
अभियुक्त कमांक–03	मोहम्मद जफर अली पिता अब्दुल जब्बार, उम्र–37 वर्ष, व्यवसाय–व्यापार निवासी–मोहल्ला मगरिया, तकिया मस्जिद के सामने, जिला–शाजापुर (म.प्र.)
अभियुक्तगण मो. इलियास व प्रार्थना की ओर से	श्री गौरव पालीवाल अधिवक्ता एल.ए.डी.सी.।
अभियुक्त मो. जफर अली की ओर से	श्री एम.के. शर्मा अधिवक्ता।

अपराध दिनांक	29.03.2018 से 15.07.2023 तक
प्रथम सूचना प्रतिवेदन का दिनांक	15.07.2023
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	11.10.2023
आरोपों की विरचना दिनांक	05.12.2023

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की दिनांक	18.01.2024
निर्णय सुरक्षित किए जाने का दिनांक	07.02.2025
निर्णय की दिनांक	18.02.2025
दंडादेश यदि कोई हो, की दिनांक	18.02.2025

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने का दिनांक	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	इलियास एहमद	16.07.2023	निरंतर	धारा 420, 467, 468 व 471 भा.द.सं. व धारा–5 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अध्योदश, 2020	दोषसिद्धि (धारा 420, 467/34, 468/34, 471 भा.द.सं. 1860 एवं धारा 5 म.प्र. धार्मिक स्वत्रंता अध्यादेश, 2020)	अधिनिर्णय के पैरा क्र. 44 की तालिका के सी. क्र. 01 के अनुसार	दिनांक 16.07.2023 से निरंतर

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

2.	प्रार्थना शिवहरे	20.07.2023	निरंतर	धारा 420, 467, 468 व 471 भा. द.सं. व धारा–5 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अध्योदश, 2020	दोषसिद्धि (धारा 420/34, 467/34, 468/34, 471/34 भा.द.सं. 1860 एवं धारा 5 म.प्र. धार्मिक स्वत्रंता अध्यादेश, 2020)	अधिनिर्णय के पैरा क. 44 की तालिका के सी. क. 02 के अनुसार	दिनांक 20.07. 2023 से निरंतर
3.	मो. जफर अली	30.08.2023	निरंतर	धारा 420, 467, 468 व 471 भा. द.सं. व धारा–5 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अध्योदश, 2020	दोषसिद्धि (धारा 420/34, 467, 468, 471/34 भा.द.सं. 1860 एवं धारा 5/34 म. प्र. धार्मिक स्वत्रंता अध्यादेश, 2020)	अधिनिर्णय के पैरा क. 44 की तालिका के सी. क. 03 के अनुसार	दिनांक 31.08. 2023 से निरंतर

अ.सा.–1	महेश कुमार जैन	फरियादी/प्रथम सूचना रिपोर्ट, जप्ती पंचनामा, सहमति पत्र, धारा–65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र का साक्षी।
अ.सा.–2	अंकित यादव	जप्ती पंचनामा का साक्षी।

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

अ.सा.–3	परेश शर्मा	अन्य साक्षी।
अ.सा.–4	अंसार पटेल	जप्ती पंचनामा का साक्षी।
अ.सा.–5	डॉ. अब्दुल लतीफ	चिकित्सक साक्षी।
अ.सा.–6	श्रीमती नफीसा	गिरफ्तारी पंचनामा एवं मेमोरेण्डम का साक्षी।
अ.सा.–7	नितिन सोनी	जप्ती पंचनामा, गिरफ्तारी पंचनामा, मेमोरेण्डम का साक्षी।
अ.सा.–8	गौरव	जप्ती पत्रक का साक्षी।
अ.सा.–9	अरशद खान	अन्य साक्षी।
अ.सा.–10	श्रीमती किंचन	मेमोरेण्डम एवं गिरफ्तारी का साक्षी।
अ.सा.–11	अब्दुल गफ्फार	तस्दीक पंचनामा का साक्षी।
अ.सा.–12	मोहसीन	तस्दीक पंचनामा का साक्षी।
अ.सा.–13	अमृतलाल गवरी	विवेचक साक्षी।
अ.सा.–14	डॉ. तेजा सिंह	चिकित्सक साक्षी।

बचाव साक्षी क. 1	निल	निल

1.	प्रदर्श पी.–1, 2, 3, 4 व 5/ अ.सा.–1 महेश कुमार जैन	क्रमशः लिखित शिकायत आवेदन पत्र, प्रथम सूचना रपोर्ट, जप्ती पंचनामा, सहमति पत्र, धारा–65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र।
2.	प्रदर्श पी.–6/ अ.सा.–4 अंसार पेटल	जप्ती पंचनामा।
3.	प्रदर्श पी.–7, 8/अ.सा.–6 श्रीमती नफीसा	क्रमशः गिरफ्तारी पंचनामा व मेमोरेण्डम।
4.	प्रदर्श पी.–9, 10, 11 व 12/अ.सा.–7 नितिन योगी	जब्ती पंचनामा, गिरफ्तारी पंचनामा, मेमोरेण्ड व जप्ती पंचनामा।
5.	प्रदर्श पी–13/अ.सा.–11 अब्दुल गफ्फार	तस्दीक पंचनामा।

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

6.	प्रदर्श पी–14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तथा 21 लगायत 24/अ.सा.–13 अमृतलाल गवरी	क्रमशः गिरफ्तारी पत्रक, फरियादी के पुत्र मनन का फर्जी आधारकार्ड व जन्म प्रमाण पत्र, मेमोरेण्डम, तस्दीक पंचनामा, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में तहरीर, मनन जैन के असल जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में रजिस्ट्रर कार्यालय बाड़मेर, राजस्थान से प्राप्त जानकारी, रोजनामचा सान्हा की कॉपियां।
7.	प्रदर्श पी–26, 27/अ.सा.–14 डॉ. तेजा सिंह	खतने के संबंध में पत्र एवं एम.एल.सी. रिपोर्ट।

1.	प्रदर्श डी–1, 2 एवं 3/अ.सा.–13 अमृतलाल	न्यायपीठ बाल कल्याण समिति जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश का दस्तावेज, हाजिरी रजिस्टर एवं फरियादी महेश के कथन।

स.क.	**भौतिक सामग्री संख्या**	**विवरण**
1.	आर्टिकल/ए–1 लगायत ए–5 एवं आर्टिकल ए–6/अ.सा.–1 महेश कुमार जैन	फोटोग्राफ्स एवं मनन के जन्म प्रमाण पत्र की फोटोप्रति।
2.	आर्टिकल ए–1 लगायत ए–10/अ. सा.–13 विवेचक अमृतलाल गवरी	आरोपी जफर से क्रमशः मॉनीटर, इप्शन कम्पनी का प्रिंटर, लेमीनेशन मीशन, सी. पी.यू., माउस, कीबोर्ड, थम्ब इम्प्रेशन मशीन, बिजली कनेक्शन बोर्ड, कनेक्टर, 05 केबल।
3.	आवश्यक वस्तुयें–	ग्रीन वेली स्कूल का कक्षा–1 का एडमिशन फार्म, अटेडेंस रजिस्टर, एक आधारकार्ड बालक मनन जैन का जिसपर कूटरचना कर मननान अहमद लिखा गया है, बालक मनन जैन का कूटरचित जन्म प्रमाणपत्र।

आरक्षी केन्द्र खजराना, जिला–इंदौर (म.प्र.) में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 572/2023, धारा–420, 467, 468, 471 भा.द.सं. व मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा–3 व 4 से उद्भूत सत्र प्रकरण।

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 18.02.2025 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता, 1860 व धारा–5 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 के अंतर्गत यह आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 29.03.2018 से 15.07.2023 के मध्य रजा कॉलोनी, खजराना, इंदौर पर बालक मनन जैन का नाम मोहम्मद मननान एहमद, उसके पिता का नाम इलियास एहमद एवं जन्मस्थान शासकीय महाराजा यशवंत राव अस्पताल, इंदौर बताकर क्रमशः म.प्र. सरकार एवं भारत सरकार को प्रवंचित कर बेईमानी से उत्प्रेरित कर मूल्यवान प्रतिभूति आधारकार्ड और जन्म प्रमाण–पत्र की रचना कराकर उक्त दस्तावेज प्राप्त कर छल कारित किया तथा बालक मनन जैन के जन्म प्रमाण–पत्र एवं आधारकार्ड में उसके वास्तविक नाम मनन जैन के स्थान पर उसका नाम मो. मननान एहमद एवं उसका जन्म स्थान महराजा यशवंत राव अस्पताल, इंदौर लेखबद्ध कर उक्त दस्तावेजों की कूटरचना कारित की तथा उक्त कूटरचना साशय और ज्ञानपूर्वक इस आशय से की कि उक्त दस्तावेजों को छल करने के लिये उपयोग में लिया जाये तथा उक्त दस्तावेजों को उनका कूटरचित होना जानते हुए और उनके कूटरचित होने के विश्वास का कारण रखते हुए उन्हें उपयोग में लिया तथा बालक मनन जैन पर असम्यक् असर या धमकी या बल का प्रयोग या प्रपीड़न कारित कर हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म संपरिवर्तन कराया।

02. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.07.2023 को आवेदक महेश कुमार नाहटा के द्वारा एक लेखीय आवेदन पत्र थाने पर इस आशय का दिया कि उसका विवाह हिन्दू रीति–रिवाज से दिनांक 30.06.2014 को श्रीमती प्रार्थना पिता मनोज शिवहरे निवासी सरस्वती शिशु मंदिर के पास दुपाडा रोड, शाजापुर म.प्र. से सिवाना राजस्थान में ही शादी हुई थी। उन दोनों के विवाह के बाद दिनांक 20.07.2015 को एक पुत्र का जन्म सिवाना, जिला–बाड़मेर राजस्थान में हुआ था, जिसका नाम मनन जैन (नाहटा) है। दिनांक 25.02.2018 को फरियादी की पत्नी एवं उसके बेटे को उसके ससुर रिश्तेदारी में सगाई कार्यक्रम होने से अपने साथ लेकर शाजापुर, म.प्र. गये थे, जिसके पश्चात् फरियादी अपनी पत्नी और बेटे को साथ लेकर दिनांक 29.03. 2018 को शाजापुर म.प्र. से वापस अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में बस रतलाम के पास सालाखेड़ी चौराहे से गुजर रही थी, तब उसकी नींद खुली और उसने देखा कि उसकी पत्नी प्रार्थना एवं उसका बेटा मनन जैन वहां पर बस में नहीं थे, जिसके संबंध में उसके द्वारा रतलाम में गुमसुदगी दर्ज की थी, लेकिन उसकी पत्नी प्रार्थना उसके साथ नहीं आयी थी व एक अन्य व्यक्ति इलियास

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

कुरैशी के साथ चली गई थी। फरियादी जैन धर्म से है, लेकिन उसका पुत्र मनन जैन को भी उसकी पत्नी अपने साथ लेकर गई थी, जिसका फरियादी द्वारा विरोध किया गया किन्त वह नहीं मानी। उसके द्वारा अपने पुत्र की अभिरक्षा के लिये शाजापुर न्यायालय में आवेदन लगाया लेकिन उसकी पत्नी के निवास के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण उक्त प्रकरण की तामीली नहीं हुई।

03. फरियादी को कुछ दिन पहले उसके परिचितों से जानकारी मिली कि इलियास कुरैशी उसकी पत्नी प्रार्थना व उसके बच्चे के साथ खजराना में रह रहा है तथा इलियास ने उसके बच्चे को अवैधानिक तरीके से यह जानते हुए कि वह जैन धर्म का है, उसका जबरदस्ती खतना करवा दिया है तथा यह भी जानकारी मिली कि उनके द्वारा उसके पुत्र का नाम मनन से परिवर्तित कर मुस्लिम धर्म के हिसाब से रख दिया है तथा उसके पुत्र के सरकारी जन्म प्रमाण–पत्र में भी कूटरचना कर उसका फर्जी पिता बनकर उसका स्कूल में भी प्रवेश करा दिया है व उसके पुत्र तथा उसकी पत्नी की मानसिकता बदल कर पूरी तरह से जैन धर्म से बदलकर जबरदस्ती मुस्लिम धर्म में बदलकर मुस्लिम तोर–तरीके व परिवेश में जीन के लिये विवश कर दिया है।

04. फरियादी के उक्त लिखित आवेदन पर से थाना खजराना के अपराध क. 572/2023 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. एवं धारा 3/4 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादी महेश कुमार नाहटा के कथन लेख कर पुत्र मनन जैन के जन्म प्रमाण पत्र व पत्नी प्रार्थना के संबंध में दस्तावेज पेश करने पर पंचान के समक्ष विधिवत् जप्त किये। आरोपी मोहम्मद इलियास ने अपने परिवार सहित थाना उपस्थित हुआ, जिससे घटना के संबंध में पूछताछ की गई, इस संबंध में धारा–27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम लेख किया गया। प्रकरण में संपत्ति जप्त की गई। प्रकरण में बालक मनन नाहटा उम्र 8 साल के मेडिकल परीक्षण कराने के लिये उसके पिता महेश कुमार नाहटा व माता प्रार्थना से लिखित अनुमति प्राप्त की, बालक का मेडिकल परीक्षण कराया। अभियुक्त इलियास से पूछताछ की गई तथा मेमोरेण्डम लिया गया एवं आरोपी के घर से बालक मनन जैन के कूटरचित आधारकार्ड, जन्मप्रमाण पत्र पेश करने पर उन्हें जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया, उक्त दस्तावेजों को बनाने वाले साईबर ऑनर जफर अली के बारे में बताया गया, जिसकी तलाश करने पर वह कहीं बाहर जाना बताया। आरोपी द्वारा खतने के संबंध में डॉ. अब्दुल लतीप के क्लीनिक के बारे में बताया गया, जिसके संबंध में तस्दीक पंचनामा बनाया गया तथा डॉ. अब्दुल लतीफ से पूछताछ की गई जिन्होनें आरोपी इलियास व उसकी पत्नी द्वारा अपने पुत्र का नाम मोहम्मद मननान एहमद बताया व मुस्लिम धर्म के

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

हिसाब से उसके द्वारा खतना किया जाना बताया। साक्षी डॉ. अब्दुल लतीफ के कथन लेख किये गये। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। फरियादी के पूरक कथन लिये गये। इस प्रकार प्रकरण में फरियादी की पत्नी प्रार्थना का नाम आरोपी के रूप में संलिप्त कर आरोपी की सूची में इजाफा किया गया। आरोपिया से पूछताछ की गई तथा उसे गिरफ्तार किया गया तथा उसका धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मेमोरेण्डम लिया गया। बाद आरोपिया को न्यायिक निरोध में भेजा गया।

05. प्रकरण में सदर बालक मनन जैन को उसकी विधिक परामर्श के लिये चाईल्ड वेल फेयर कमेटी इन्दौर म.प्र. के समक्ष थाना हाजा के चाईल्ड अधिकारी के माध्यम से भेजा गया व उक्त जानकारी बालक मनन जैन के विधिक पिता महेश कुमार जैन को दी गई तथा पिता महेश कुमार जैन को संरक्षण में दिये जाने के सबंध में आदेश प्राप्त किया। विवेचना में प्रकरण में संदिग्ध आरोपी मो. जफर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई तथा उसका मेमोरेण्डम तैयार किया गया तथा आरोपी से मशीन, मॉनिटर सैमसंग कंपनी का, कलर प्रिंटर एप्शन कंपनी का, माउस जेब्रोनिक्स कंपनी का, लॉजीटेक कंपनी का की–बोर्ड, थम्ब इम्प्रेशन मशीन, बिजली कनेक्शन बोर्ड आदि की जब्ती कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। प्रकरण मे सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र संबधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत दिनांक 11.10.2023 को प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण दिनांक 20.10.2023 को उपार्पित होकर दिनांक 01.11.2023 को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, इंदौर प्राप्त हुआ, जहां से यह प्रकरण विधिवत् निराकरण हेतु दिनांक 03.11. 2023 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

06. निर्णय की कंडिका 1 में वर्णित इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण पर धारा–420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. एवं धारा 5 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के अंतर्गत आरोप विरचित कर उन्हें पढ़कर सुनाये जाने पर उन्होंने विचारण चाहा। अभियुक्त परीक्षण के दौरान अभियुक्तगण ने उन्हें निर्दोष होना व्यक्त कर झूठा फंसाये जाने का कथन किया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य में प्रवेश कराये जाने पर उन्होंने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

07. प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :–

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 29.03.2018 से 15.07.2023 के मध्य रजा कॉलोनी, खजराना, इंदौर पर बालक मनन जैन का नाम मोहम्मद मननान एहमद, उसके पिता का नाम इलियास

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

	एहमद एवं जन्मस्थान शासकीय महाराजा यशवंत राव अस्पताल, इंदौर बताकर क्रमशः म.प्र. सरकार एवं भारत सरकार को प्रवंचित कर बेईमानी से उत्प्रेरित कर मूल्यवान प्रतिभूति आधारकार्ड और जन्म प्रमाण–पत्र की रचना कराकर उक्त दस्तावेज प्राप्त कर छल कारित किया ?
2.	क्या अभियुक्तगण ने बालक मनन जैन के जन्म प्रमाण–पत्र एवं आधारकार्ड में उसके वास्तविक नाम मनन जैन के स्थान पर उसका नाम मो. मननान एहमद एवं उसका जन्म स्थान महराजा यशवंत राव अस्पताल, इंदौर लेखबद्ध कर उक्त दस्तावेजों की कूटरचना कारित की ?
3.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त कूटरचना साशय और ज्ञानपूर्वक इस आशय से की कि उक्त दस्तावेजों को छल करने के लिये उपयोग में लिया जाये ?
4.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दस्तावेजों को उनका कूटरचित होना जानते हुए और उनके कूटरचित होने के विश्वास का कारण रखते हुए उन्हें उपयोग में लिया ?
5.	क्या अभियुक्तगण ने बालक मनन जैन पर असम्यक् असर या धमकी या बल का प्रयोग या प्रपीड़न कारित कर हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म संपरिवर्तन कराया?

–: विनिश्चय एवं विनिश्चय के आधार :–

विचारणीय प्रश्न कमांक–1 लगायत 5 :–

08. सभी विचारणीय प्रश्न एक–दूसरे पर आश्रित हैं इसलिये उनकी विवेचना एकसाथ की जा रही है।

09. महेश कुमार जैन अ.सा. 01 का कहना है कि मोहम्मद इलियास उसकी पत्नी प्रार्थना और उसके बेटे मनन जैन को लेकर भागा था। दिनांक 29.03.2018 को वह अपने पुत्र मनन जैन और पत्नी प्रार्थना को लेकर शाजापुर से शिवाना के लिये जैन ट्रेवल्स की बस से शाम को 04:30 बजे के लगभग रवाना हुआ था, रास्ते में सफर करते समय थकान की होन की वजह से उसकी नींद लग गयी थी। रतलाम में लगभग 10:00 बजे उसकी आंख खुली तो उसने

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

उसकी सीट पर पत्नी प्रार्थना और पुत्र मनन को नहीं पाया, तब उसने बस ड्रायवर से पूछा कि उसकी पत्नी और बच्चा कहां है तो ड्रायवर ने बताया कि उसकी पत्नी पुत्र को लेकर बस से सालाखेड़ी चौकी रतलाम में उतरे हैं, उनको कोई लेने आया था, उनके साथ चली गई है। इस साक्षी ने 15 जुलाई 2023 को खजराना पुलिस थाना में एक लिखित आवेदन दिया था जो प्रदर्श पी–01 है और प्रदर्श पी–02 की रिपोर्ट को अपने कथनों में प्रमाणित किया है। कंडिका–04 में इस साक्षी का कहना है कि उसने पुलिस को मनन का जन्म प्रमाण–पत्र दिया था और उसने उसकी और प्रार्थना की शादी के फोटो एवं पुत्र मनन के साथ में उसके एवं पत्नी प्रार्थना के साथ में लिये गये फोटो को जप्त कराया था, जिसका जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–03 है, जिन्हें इस साक्षी ने आर्टिकल ए–1 लगायत ए–5 के रूप में बताया है। जन्म प्रमाण–पत्र आर्टिकल ए–06 के रूप में इस साक्षी ने प्रमाणित किया है तथा उक्त फोटोग्राफ कम्प्यूटर से निकालने के संबंध में धारा–65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–05 को भी प्रमाणित किया है। इस साक्षी के उक्त कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डित रहे हैं।

10. साक्षी अंकित यादव अ.सा. 02 का कहना है कि पुलिस ने उसके सामने महेश की शादी की फोटो और जन्म प्रमाण–पत्र जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–03 बनाया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का कहना है कि पुलिस ने उसे जन्म प्रमाण–पत्र, फोटो जप्त करने के संबंध में बताया था और उक्त दस्तावेज दिखाये भी थे।

11. गौरव अ.सा. 08 ने प्रदर्श पी–03 के जप्ती पत्रक की पुष्टि अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहकर की है कि प्रदर्श पी–03 पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह साक्षी यह भी कहता है कि उसके सामने महेश ने जन्म प्रमाण–पत्र जप्त करवाया था और शादी के फोटो भी जप्त करवाये थे।

12. विवेचक अमृतलाल गवरी अ.सा. 13 का कहना है कि उसने विवेचना के दौरान महेश कुमार नहाटा के कथन लेखबद्ध किये थे और उसके पुत्र मनन जैन का जन्म प्रमाण–पत्र तथा उसकी शादी के फोटो पेश करने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–03 बनाया था। उक्त प्रदर्श पी–03 के जप्ती पत्रक को इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार इस तथ्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। उपरोक्त विवेचना पश्चात् यह कहा जा सकता है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल हुआ है कि महेश कुमार अ.सा. 01 से पुलिस द्वारा आर्टिकल ए–1 लगायत ए–5 के दस्तावेज जप्त किये गये हैं। आर्टिकल ए–6

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त जन्म प्रमाण–पत्र राजस्थान सरकार द्वारा रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु पंजीयन द्वारा बनाया गया है, जिसमें मनन जैन की जन्म तिथि 20.07.2015 एवं उसकी माता का नाम श्रीमती प्रार्थना एवं पिता का नाम श्री महेश कुमार होना बताया है।

13. साक्षी अंसार पटेल अ.सा. 04 का कहना है कि वह ग्रीन वैली स्कूल, खजराना का प्राचार्य है। इस साक्षी का कहना है कि मोहम्मद इलियास उसके स्कूल में आया था और कहा था कि बच्चे का एडमिशन कराना है, तो उसने एडमिशन के संबंध में दस्तावेजों के बारे में बताया था। बातचीत होने के पश्चात् आरोपी 03–04 दिन बाद पुनः उसके स्कूल में आया था, तब उसने मोहम्मद इलियास को एडमिशन फार्म दिया था तो मोहम्मद इलियास ने उक्त फार्म भरकर उसे वापस दिया था। इस साक्षी का कहना है कि मोहम्मद इलियास ने एडमिशन हेतु उसका आधारकार्ड एवं उसके पुत्र मन्नान का जन्म प्रमाण–पत्र उसे दिया था, जिसके आधार पर उसने स्कूल में एडमिशन दिया था। इस साक्षी का कहना है कि उसने मन्नान का एडमिशन फार्म, जन्म प्रमाण–पत्र और मोहम्मद इलियास का आधारकार्ड पुलिस को दिया था और पुलिस ने उक्त दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी का यह भी कहना है कि उसने मोहम्मद मन्नान को ग्रीन वैली स्कूल में एडमिशन दिया था। उक्त एडमिशन फार्म प्रदर्श पी–14 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त एडमिशन मोहम्मद मन्नान का आधारकार्ड एवं जन्म प्रमाण–पत्र का वेरिफिकेशन करने के पश्चात् दिया था। इस साक्षी का कहना है कि मोहम्मद मन्नान का आधारकार्ड प्रदर्श पी–15 और जन्म प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–16 है। इस साक्षी के उक्त कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान पूर्ण रूप से अखण्डित रहे हैं।

14. प्रदर्श पी–16 के जन्म प्रमाण–पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त जन्म प्रमाण–पत्र मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 11.01.2022 को बनाया गया है। उक्त जन्म प्रमाण–पत्र के अनुसार बालक मोहम्मद मन्नान अहमद की जन्म तिथि 20.07.2015, जन्म स्थान शासकीय महाराजा यशवंत राव अस्पताल, इंदौर, माता का नाम प्रार्थना और पिता का नाम इलियास अहमद होना लेख है। आर्टिकल ए–6 के जन्म प्रमाण–पत्र के अनुसार मनन की जन्म तिथि 20.07. 2015 और स्थान सिवाना, मां का नाम श्रीमती प्रार्थना और पिता का नाम श्री महेश कुमार है।

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

15. सर्वप्रथम प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या मनन जैन और मन्नान एक ही बालक का नाम है ?

16. साक्षी महेश कुमार अ.सा. 01 का कहना है कि मोहम्मद इलियास उसकी पत्नी और उसके बेटे मनन जैन को लेकर भागा था। उसने दिनांक 30.03.2018 को रतलाम में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। 04–05 महीने पुलिस के प्रयास से अहमदाबाद से उसकी पत्नी प्रार्थना, पुत्र मनन जैन को अभियुक्त मोहम्मद इलियास के कब्जे से दस्तयाब किया था। प्रार्थना का बयान लेकर आरोपी इलियास के साथ छोड़ दिया था। उसने पत्नी प्रार्थना से बहुत मन्नत की थी कि उसका पुत्र मनन जैन उसे दे दे, लेकिन उसने नहीं दिया। उसके बाद वह राजस्थान चला गया था। जुलाई 2023 में उसे परिचितों से पता चला कि आरोपी इलियास ने उसके पुत्र का खतना करवा दिया है और मनन के फर्जी जन्म प्रमाण–पत्र इंदौर में बनवा लिया है तथा पुत्र मनन के नाम पर मन्नान अहमद के नाम से आधारकार्ड भी बनवा लिया है और स्कूल में एडमिशन करवाने के लिये प्रयासरत् है।

17. प्रतिपरीक्षण के दौरान महेश कुमार अ.सा. 01 कंडिका–09 में यह स्वीकार करता है कि पुलिस को रतलाम में की गई गुमशुदगी रिपोर्ट उसने दी थी। ऐसी कोई भी गुमशुदगी रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। कंडिका–13 में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा परिवार न्यायालय शाजापुर में बच्चे के कस्टडी के संबंध में जो आवेदन दिया था उसकी छायाप्रति उसने खजराना पुलिस को दे दी थी, किंतु ऐसी कोई भी छायाप्रति अभिलेख पर नहीं है। कंडिका–15 में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में उसका पुत्र मनन उसकी कस्टडी में है।

18. साक्षी महेश कुमार अ.सा. 01 के अनुसार पुलिस ने उसकी और प्रार्थना की शादी के फोटो और पुत्र मनन और उसके और प्रार्थना के साथ में लिये गये फोटो तथा जन्म प्रमाण–पत्र जप्त करवाये थे, जिसका जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–03 है। इस साक्षी ने उक्त फोटोग्राफ्स को आर्टिकल ए–1 लगायत ए–5 और जन्म प्रमाण–पत्र को आर्टिकल ए–6 से प्रमाणित किया है और आर्टिकल ए–1 लगायत ए–5 के संबंध में धारा–65बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण–पत्र को भी अखण्डित रूप से प्रमाणित किया है। प्रदर्श पी–03 की जप्ती कार्यवाही की पुष्टि अंकित यादव अ.सा. 02 द्वारा भी की गई है। श्रीमती कंचन अ.सा. 10 आरक्षक है। उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपिया प्रार्थना को वह जानती है। उसके सामने ही अमृतलाल गवरी ने आरोपिया से पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि राजस्थान में महेश कुमार जैन से उसका विवाह हुआ था और मनन उसका और महेश कुमार का बेटा है। आरोपिया प्रार्थना बस में से

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

उतरकर भागी थी और इलियास नाम के व्यक्ति से मिली थी तथा वह इलियास के साथ रहने लगी थी और बच्चे मनन के दस्तावेज उन्होंने तैयार किये थे, जिससे उसे स्कूल में एडमिशन मिल सके। इस साक्षी ने मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–08 और आरोपिया का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–07 को न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किया है। इस साक्षी के उक्त कथन पूर्ण रूप से प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डित रहे हैं। इस संबंध में साक्षी श्रीमती नफीसा अ.सा. 06 का यह कथन भी अखण्डित रहा है कि अभियुक्ता प्रार्थना ने यह बताया था कि वह मुस्लिम के साथ रहने लगी है और बच्चे का खतना करवा दिया है। उक्त साक्षी के कथनों से महेश कुमार अ.सा. 01 के कथनों की पुष्टि होती है। अंसार पटेल अ.सा. 04 जो कि स्कूल का संचालक है, का भी कहना है कि अभियुक्त मोहम्मद इलियास को उसने उसके पुत्र के एडमिशन के लिये फार्म दिया था जो इलियास ने भरकर उसे दिया था और अभियुक्त इलियास ने एडमिशन के लिये अभियुक्त इलियास का आधारकार्ड एवं उसके पुत्र का जन्म प्रमाण–पत्र उसे दिया था जिसके आधार पर उसने उसे स्कूल में एडमिशन दिया था। इस साक्षी के उक्त कथन भी पूर्ण रूप से उसके प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डित रहे हैं। इस साक्षी ने एडमिशन फार्म प्रदर्श पी–14, बालक मन्नान का आधारकार्ड प्रदर्श पी–15 और जन्म प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–16 को प्रमाणित किया है।

19. आर्टिकल ए–3 से ए–5 के फोटोग्राफ्स को बचाव पक्ष द्वारा कोई भी चुनौती नहीं दी गई है। बचाव पक्ष का न तो ऐसा कहना है और न ही ऐसा तर्क किया है कि मनन जैन व मन्नान अहमद अलग–अलग बालक हैं। इस प्रकार उपरोक्त समस्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बालक मनन और मन्नान अहमद एक ही बालक का नाम है।

20. अब यह देखना होगा कि क्या अभियुक्त/अभियुक्तगण ने मध्यप्रदेश सरकार और भारत सरकार को प्रवंचित कर बेईमानी से उत्प्रेरित कर मूल्यवान प्रतिभूति आधारकार्ड और जन्म प्रमाण–पत्र की रचना कराकर छल कारित किया ?

21. अभियोजन मामले के अनुसार प्रदर्श पी–06 के जप्ती पत्रक अनुसार अंसार पटेल अ.सा. 04 से साक्षीगण अरशद खान के समक्ष ग्रीन वैली की कक्षा–01 का एडमिशन फार्म जिसमें आरोपी इलियास के पिता के रूप में हस्ताक्षर हैं। उक्त फार्म पर बालक का नाम मन्नान एवं जन्म दिनांक 20.07.2015, माता का नाम प्रार्थना तथा फार्म जमा तारीख 10.05.2023 लेख है, जप्त किया गया है और उक्त फार्म के साथ जन्म प्रमाण–पत्र तथा प्रिंसिपल की सील

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

लगा अटेंडेंस रजिस्टर और बालक मन्नान का क्रमांक–19 पर नाम दर्ज है तथा उसकी अटेंडेंस लगी है, जप्त किया है।

22. अंसार पटेल अ.सा. 04 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि उसका स्कूल ग्रीन वैली के नाम से खजराना में स्थित है। अभियुक्त मोहम्मद इलियास उसके स्कूल में आया था और कहा था कि बच्चे का एडमिशन कराना है, तो उसने एडमिशन के संबंध में दस्तावेजों के बारे में बताया था। बातचीत होने के पश्चात् आरोपी 03–04 दिन बाद पुनः उसके स्कूल में आया था, तब उसने मोहम्मद इलियास को एडमिशन फार्म दिया था तो मोहम्मद इलियास ने उक्त फार्म भरकर उसे वापस दिया था। अभियुक्त मोहम्मद इलियास ने एडमिशन हेतु उसका आधारकार्ड एवं उसके पुत्र मन्नान का जन्म प्रमाण–पत्र उसे दिया था, जिसके आधार पर उसने स्कूल में एडमिशन दिया था। इस साक्षी का यह भी कहना है कि उसके स्कूल में पुलिस आयी थी, पुलिस ने उक्त दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–06 बनाया था।

23. प्रतिपरीक्षण के दौरान अंसार पटेल अ.सा. 04 अपने उक्त कथनों पर पूर्णतः अडिग रहा है और उसके उक्त कथनों को चुनौती भी नहीं दी गई है। इस संबंध में विवेचक अमृतलाल गवरी अ.सा. 13 का अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहना है कि दिनांक 21.09.2023 को ग्रीन वैली स्कूल जाकर उसने प्राचार्य अंसार पटेल से आरोपी इलियास द्वारा पिता के रूप में हस्ताक्षर किया हुआ एडमिशन फार्म व कूटरचित जन्म प्रमाण–पत्र तथा डेली अटेंडेंस रजिस्टर की सत्यापित प्रति जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–06 बनाया था। इस साक्षी ने एडमिशन फार्म को प्रदर्श पी–14 के रूप में प्रमाणित किया है। उक्त जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी–06 की पुष्टि अरशद खान अ.सा. 09 भी करता है, जिसका कहना है कि पुलिस ग्रीन वैली स्कूल में आयी थी। वह ग्रीन वैली स्कूल में जॉब करता है। पुलिस ने मन्नान नामक बालक के एडमिशन संबंध में पूछताछ की थी और लिखा–पढ़ी की थी, जो प्रदर्श पी–06 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में यह साक्षी यह कहता है कि बालक मन्नान का जन्म प्रमाण–पत्र और हाजरी रजिस्टर उसके सामने जप्त नहीं हुआ है। वह उसी स्कूल में पढ़ाता है इसलिये उसने प्रिंसिपल के कहने से हस्ताक्षर कर दिये थे। यह साक्षी एक अध्यापक के रूप में कार्य करता है अर्थात् वह पढ़ा–लिखा व्यक्ति है। प्रदर्श पी–06 पर अखण्डित रूप से बी से बी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

24. साक्षी अमृतलाल गवरी अ.सा. 13 प्रतिपरीक्षण की कंडिका–14 में यह स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी–14 के एडमिशन फार्म पर बालक मन्नान

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

का फोटो नहीं लगा है। यह अस्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–14 को उसने प्राचार्य को दवाब में लाकर उससे प्राप्त किया था तथा यह स्वीकार किया है कि स्कूल का स्कॉलर रजिस्टर जप्त नहीं किया है जिसमें बालक मन्नान का नाम है। कंडिका 15 में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि हाजरी रजिस्टर प्रदर्श डी–02 में बालक मनन का नाम मन्नान लिखा है, किंतु उसके माता–पिता का नाम नहीं लिखा है और उक्त कॉलम खाली है। इस साक्षी ने इसी कंडिका में यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–02 में 02 जुलाई से 08 जुलाई तक मन्नान की हाजरी अंकित है। कंडिका–16 में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–02 पर 28 जुलाई 2023 तक लगातार मन्नान की हाजरी अंकित है। यह साक्षी यह स्पष्ट करता है कि एफ.आई.आर. दिनांक तक वह उक्त स्कूल में उपस्थित है और जिस दिन एफ.आई.आर. हुई है उस दिन से लगातार स्कूल में अनुपस्थित है। उक्त प्रतिपरीक्षण के कथनों का बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अंसार पटेल अ.सा. 04 ने अखण्डित रूप से यह बताया है कि पुलिस ने उसके सामने मन्नान का एडमिशन फार्म, जन्म प्रमाण–पत्र और इलियास का आधारकार्ड जप्त किया था।

25. उपरोक्त विवेचना पश्चात् कहा जा सकता है कि प्रदर्श पी–06 के जप्ती पत्रक पर संदेह किये जाने का कोई कारण मौजूद नहीं है।

26. मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–08 अभियुक्ता प्रार्थना शिवहरे का है। इस संबंध में अमृतलाल गवरी अ.सा. 13 का कहना है कि उसने अभियुक्ता को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–07 बनाया था, जिससे पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि उसने सहअभियुक्त इलियास से मिलकर अपने पुत्र का फर्जी आधारकार्ड और फर्जी जन्म प्रमाण–पत्र बनवाया था तथा डॉक्टर के यहां खुद मनन जैन का खतना कराया था तथा पुत्र का ग्रीन वैली स्कूल में एडमिशन करवाया था। अभियुक्त इलियास ने जफर भाई उसके दोस्त के साथ मिलकर बनाया था। उक्त प्रदर्श पी–08 के मेमोरेण्डम की साक्षी श्रीमती नफीसा अ.सा. 06 है जो अखण्डित रूप से यह कथन देती है कि अभियुक्ता प्रार्थना को उसके सामने गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–07 बनाया गया था तथा अभियुक्ता प्रार्थना ने गलवी साहब के समक्ष यह बताया था कि वह मुस्लिम के साथ रहने लगी है और बच्चे का खतना करवा लिया है। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–07 पर यह साक्षी अपने हस्ताक्षर होना बताती है। प्रदर्श पी–08 के मेमोरेण्डम के संबंध में साक्षी अमृतलाल गवरी अ.सा. 13 से कंडिका–24 में प्रश्न किये गये हैं। इस साक्षी ने मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–08 की असत्यता के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाने योग्य कोई भी कथन अपने कथन में नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में कंडिका–24 में इस साक्षी ने यह

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

स्वीकार किया है कि जिन दस्तावेजों को इस साक्षी ने फर्जी होना बताया है, उन दस्तावेजों के फर्जी होने के संबंध में कोई जांच इस साक्षी द्वारा नहीं करायी गई है। मेमोरेण्डम कथन के आधार पर यदि कोई तथ्यों की खोज होती है तो ऐसे तथ्य की खोज को साक्ष्य में ग्राह्य किया जाता है। प्रदर्श पी–08 के मेमोरेण्डम के आधार पर ग्रीन वैली स्कूल, खजराना में बालक मनन जैन का एडमिशन कराया जाना उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से प्रमाणित हुआ है।

27. डॉ. अब्दुल लतीफ अ.सा. 05 ने अखण्डित रूप से यह कहा है कि लगभग 05–06 महीने अभियुक्त इलियास अपने बच्चे मोहम्मद मन्नान को चंदन नगर, चंदू वाला रोड उसके क्लिनिक पर लेकर आया था, तब उसने मन्नान का आधारकार्ड एवं मोहम्मद इलियास का आधार कार्ड देखा था और उस समय मन्नान की उम्र लगभग 03–04 साल थी। मुस्लिम समाज का होना और मुस्लिम नाम का होने से उसने मनन का खतना किया था। प्रदर्श पी–08 के मेमोरेण्डम के आधार पर चंदन नगर में रहने वाले डॉक्टर के पास जाना और खतना कराया जाना भी प्रमाणित होता है। इस प्रकार प्रदर्श पी–08 के आधार पर उक्त तथ्यों की खोज हुई है जो साक्ष्य में ग्राह्य है।

28. डॉ. तेजा सिंह अ.सा.–14 का कहना है कि बालक मनन का परीक्षण करने के बाद उसने यह पाया था कि उसका खतना किया गया है। इस साक्षी ने एम.एल.सी. रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 को प्रमाणित किया है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी को यह सुझाव दिया है कि मेडिकल कारणों से भी पेनिस के आखिरी छोर को जो मृत चमड़ी जैसा होता है,को मेडिकल कारणों से भी हटाया जा सकता है। बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी गई है कि बालक मनन को किसी प्रकार की चिकित्सीय आवश्यकता होने के कारण उसके पेनिस में उपरोक्त प्रकार से सर्जरी की गई है। इस प्रकार उक्त सुझावों का कोई भी लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है।

29. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त इलियास ने बालक मनन जैन को मोहम्मद मन्नान बताते हुए डॉक्टर अब्दुल लतीफ अ.सा. 05 को बालक का खतना करने के लिये कहकर उसका खतना कराया है। इसलिये निश्चित रूप से यह कहा जावेगा कि अभियुक्त इलियास ने प्रवंचना करते हुए बेईमानी से डॉक्टर अब्दुल तलीफ को उत्प्रेरित किया है और परिणामस्वरूप डॉक्टर अब्दुल लतीफ अ.सा. 05 ने ऐसा कार्य किया है जो वह नहीं करता, यदि उसे ऐसी उत्प्रेरणा नहीं दी गई होती। अतः यह कहा जावेगा कि अभियुक्त इलियास ने छल कारित किया है।

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

30. साक्षी अंसार पटेल अ.सा. 04 के उपरोक्त कथनों से यह प्रमाणित है कि अभियुक्त इलियास मनन जैन के एडमिशन के लिये अंसार पटेल अ.सा. 04 के पास गया था, जहां पर अंसार पटेल अ.सा. 04 को बालक मनन जैन को मन्नान अहमद बताकर उसका एडमिशन भी कराया है। इस प्रकार प्रवंचना करते हुए उसने अंसार पटेल अ.सा. 04 को बेईमानी से उत्प्रेरित करते हुए उसके साथ भी छल भी कारित किया है।

31. जहां तक अभियुक्ता प्रार्थना का छल कारित किये जाने के अपराध का संबंध है तो मनन जैन अभियुक्ता प्रार्थना और साक्षी महेश कुमार अ. सा. 01 से उत्पन्न पुत्र है। इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य की फोटोप्रतियां भी उपरोक्तानुसार प्रस्तुत की गई हैं, जिनका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। श्रीमती कंचन अ.सा. 10 का यह कथन पूर्ण रूप से अखण्डित रहा है कि अभियुक्ता प्रार्थना ने उसके सामने यह बताया था कि अपने बच्चे मनन के दस्तावेज उन्होंने अर्थात् प्रार्थना और इलियास ने तैयार किये थे, जिससे उसे स्कूल में एडमिशन मिल सके। निश्चित रूप से अभियुक्त प्रार्थना की सहमति के बिना बालक मनन जैन का न तो खतना हो सकता था और न ही उसके नाम का परिवर्तन हो सकता था। अभियुक्ता प्रार्थना एवं अभियुक्त इलियास का नाम जन्म प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–16 और प्रदर्श पी–14 में पति–पत्नी के रूप में दर्ज है। इस प्रकार उक्त छल किये जाने के अपराध के संबंध में प्रार्थना भी शामिल रही है और छल किये जाने के सामान्य आशय के अग्रसरण में उक्त छल के अपराध को अभियुक्त इलियास ने अंजाम दिया है। यदि सामान्य आशय के संबंध में आरोप पृथक से विरचित नहीं किया गया है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य किया जाना प्रमाणित होता है तो उक्त सामान्य आशय के संबंध में आरोप विरचित नहीं किये जाने के पश्चात् भी अभियुक्त/अभियुक्तगण को दोषी माना जा सकता है।

32. जहां तक अन्य अभियुक्त मोहम्मद जफर का छल किये जाने के अपराध अर्थात् धारा–420 भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियोजन मामले के अनुसार अभियुक्त जफर पर जन्म प्रमाण–पत्र और आधारकार्ड बनाने का आरोप है। नितिन योगी अ.सा. 07 का कहना है कि अभियुक्त जफर ने उसके सामने पुलिस को पूछताछ में जन्म प्रमाण–पत्र और आधारकार्ड के संबंध में उन्हें बनाने बाबत् जानकारी दी थी, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–11 है। इस साक्षी ने अभियुक्त जफर को न्यायालय के समक्ष पहचानते हुए उक्त कथन किये हैं। यह साक्षी अभियुक्त जफर से प्रिंटर, मॉनिटर किला रोड़ वाली दुकान शाजापुर से जप्त करना बताता है। प्रतिपरीक्षण

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

में यह साक्षी कहता है कि कम्प्यूटर किस मॉडल का था और कम्प्यूटर के साथ अन्य क्या दस्तावेज थे उसे याद नहीं है। इस साक्षी के इस कथन को कोई चुनौती नहीं दी गई है। उसके सामने अभियुक्त जफर से पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–11 बनाया था और उससे उपरोक्त सामग्री जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–12 बनाया था। अब्दुल गफ्फार अ.सा. 11 तस्दीक पंचनामा प्रदर्श पी–13 को प्रमाणित करने योग्य कोई भी कथन नहीं देता है। पूछे गये सूचक प्रश्न में भी इस साक्षी ने अभियुक्त के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया है। इसी प्रकार मोहसीन अ.सा. 12, अब्दुल गफ्फार अ.सा. 11 के समान अपनी साक्ष्य न्यायालय के सामने करता है।

33. अभियुक्त जफर की संलिप्तता तभी मानी जावेगी, तब यह साबित हो जाये कि उसके द्वारा मनन जैन के फर्जी आधारकार्ड और जन्म प्रमाण–पत्र बनाये गये हैं। अमृतलाल गवरी अ.सा. 13 का कहना है कि उसने अभियुक्त इलियास के मेमोरेण्डम दिनांक 17.07.2023 के आधार पर साक्षी राजेश और नितिन के सामने मनन का फर्जी आधारकार्ड और जन्म प्रमाण–पत्र जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–09 बनाया था और उक्त आधारकार्ड प्रदर्श पी–15 और जन्म प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–16 है। इस साक्षी का यह भी कहना है कि वह दिनांक 17.07.2023 को फर्जी दस्तावेज निर्मित करने वाले क्लासिक इंटरप्रायजेस ऑनलाइन सर्विसेस सेंटर पर गया था वहां पर दस्तावेज निर्मित करने वाले जफर अली के संबंध में तस्दीक पंचनामा प्रदर्श पी–18 बनाया था। जफर से पूछताछ करने पर उसने यह बताया था कि इलियास अपनी पत्नी प्रार्थना के साथ आया था और उसके पुत्र मनन का फर्जी आधारकार्ड और जन्म प्रमाण–पत्र उसने बनाकर दिया है, तब उक्त मेमो के आधार पर अभियुक्त जफर के यहां से दस्तावेज निर्मित करने वाली मशीन, मॉनिटर सैमसंग कंपनी का, कलर प्रिंटर एप्शन कंपनी का, माउस जेब्रोनिक्स कंपनी का, लॉजीटेक कंपनी का की–बोर्ड, थम्ब इम्प्रेशन मशीन, बिजली कनेक्शन बोर्ड आदि जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–12 बनाया था। इस साक्षी ने अभियुक्त जफर से जप्त सामग्री को आर्टिकल ए–1 लगायत ए–10 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किया है।

34. बचाव पक्ष का यह तर्क यह है कि अभियुक्त जफर के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है और उसे झूठा फंसाया गया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी अमृतलाल गवरी अ.सा. 13 कंडिका–17 में यह स्वीकार करता है कि वह नहीं बता सकता कि कम्प्युटर या मॉनिटर से कोई चीज बनाये जाये तो उसका रिकॉर्ड कम्प्यूटर में मौजूद रहता है। यह साक्षी कम्प्यूटर को साईबर सेल से चैक नहीं करना बताता है और कंडिका–18 में यह स्वीकार करता है कि उसने अभियुक्त जफर से वह प्रक्रिया नहीं पूछी कि उसने उक्त फर्जी

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

आधारकार्ड और जन्म प्रमाण–पत्र कैसे बनाये और स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि उक्त दस्तावेज उक्त सामग्री से ही बने हैं ऐसी साक्ष्य उसने एकत्रित नहीं की है।

35. साक्षी परेश शर्मा अ.सा. 03 मोहम्मद जफर अली को न्यायालय के समक्ष पहचानना बताता है और कहता है कि जफर को उसने 08–09 महीने पहले दुकान किराये पर दी थी। उसकी दुकान शाजापुर में किला रोड पर स्थित है। अभियुक्त जफर उक्त दुकान में सिलाई का कार्य करता था और ऑनलाईन से संबंधित भी कुछ कार्य करता था। इस साक्षी के कथन इस संबंध में अखण्डित रहे हैं कि अभियुक्त जफर ऑनलाइन से संबंधित कुछ कार्य करता था। उपरोक्तानुसार नितिन योगी अ.सा. 07 के कथन भी प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डित रहे हैं, जिसने अभियुक्त जफर से प्रिंटर, मॉनिटर जप्त करना बताया है और यह भी बताया है कि किला रोड़ वाली दुकान शाजापुर से उक्त सामग्री जप्त की थी। ऐसी स्थिति में अमृतलाल गवरी अ.सा. 13 द्वारा की गई विवेचना कार्यवाही पर संदेह नहीं किया जा सकता। यह सही है कि विवेचना के प्रक्रम में वह और अच्छी विवेचना कर सकता था और वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्रित कर सकता था जो उसने नहीं की है, किंतु यह विवेचक की त्रुटि है और विवेचना की त्रुटि का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जाना चाहिए।

36. अभियुक्त जफर ने उससे मॉनिटर, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, सी. पी.यू., माउस, थम्ब इम्प्रेशन मशीन, बिजली जंक्शन, कनेक्टर और केबल आर्टिकल ए–1 लगायत ए–10 जप्त होना बताया है। अपने अभियुक्त परीक्षण में प्रश्न क्रमांक–27 का उत्तर देते हुए इस आरोपी ने यह कहा है कि वह सिलाई का काम करता है, उसे ऑनलाईन का काम नहीं आता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि उसे ऑनलाईन का काम नहीं बाता है तो उक्त सभी मॉनिटर, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, सी.पी.यू., माउस आदि उसके पास किस प्रकार से हैं ? उक्त सामग्री उसकी दुकान में क्यों थी ? सिलाई का काम करने वाले व्यक्ति की दुकान में प्रिंटर, सी.पी.यू. थम्ब इम्प्रेशन मशीन आदि का पाया जाना और इसका कोई स्पष्टीकरण न देना कि उक्त सामग्री उसने किस उद्देश्य से अपनी दुकान में रखी हुई थी। परेश शर्मा अ.सा. 03 भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अभियुक्त ऑनलाईन से संबंधित कुछ काम करता था और नितिन योगी अ.सा. 07 भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अभियुक्त जफर से प्रिंटर, मॉनिटर जप्त किये गये थे। ऐसी स्थिति में अमृतलाल गवरी अ. सा. 13 का मुख्यपरीक्षण का यह कथन कि दिनांक 17.07.2023 को फर्जी दस्तावेज निर्मित करने वाले क्लासिक इंटरप्राइजेस ऑनलाईन सर्विसेस सेंटर पर वह गया था और जफर अली के संबंध में तस्दीक पंचनामा प्रदर्श पी–18 बनाया था तथा पूछताछ में आरोपी जफर द्वारा यह बताया गया था कि

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

इलियास अपनी पत्नी प्रार्थना के साथ आया था और उसने फर्जी आधारकार्ड एवं जन्म प्रमाण–पत्र बनाने के लिये जिन मशीनों को उपयोग किया है वे घर पर रखी हैं, जिनको वह बरामद करा देता है, तब उसने उक्त सामग्री जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–12 बनाया था। उक्त कथन पूर्ण रूप से विश्वसनीय कथन की श्रेणी में आता है और इस संबंध में अमृतलाल गवरी अ. सा. 13 का प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करना कि उसने जफर से वह प्रक्रिया नहीं पूछी कि उसने उक्त फर्जी आधारकार्ड और जन्म प्रमाण–पत्र कैसे बनाये और स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि उक्त दस्तावेज उक्त सामग्री से ही बने हैं ऐसी साक्ष्य उसने एकत्रित नहीं की है तथा कम्प्यूटर को सायबर सेल से चैक नहीं कराया और न ही स्वयं चैक किया, जिससे कि जन्म प्रमाण–पत्र और आधारकार्ड की उत्पत्ति का आधार मिल सके, से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

37. न्यायालय के समक्ष तथाकथित फर्जी आधारकार्ड प्रदर्श पी–15 एवं जन्म प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–16 संलग्न है। इसके साथ–साथ आर्टिकल ए–6 का जन्म प्रमाण–पत्र जिसको बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है, भी अभिलेख पर मौजूद है। जन्म प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–16 और आर्टिकल ए–6 की तुलना करें तो प्रदर्श पी–16 में बालक का नाम मोहम्मद मन्नान अहमद लिखा है, जबकि आर्टिकल ए–6 में मनन जैन लेखा है। प्रदर्श पी–16 में उक्त बालक के पिता का नाम इलियास अहमद लिखा है, जबकि आर्टिकल ए–6 में पिता का नाम श्री मकेश कुमार लिखा है। इसके साथ–साथ प्रदर्श पी–16 में माता का नाम प्रार्थना लिखा है एवं आर्टिकल ए–6 में भी माता का नाम श्रीमती प्रार्थना लिखा है। निश्चित रूप से मनन जैन और मोहम्मद मन्नान अहमद एक ही व्यक्ति है, तब प्रदर्श पी–15 का आधारकार्ड जो कि मोहम्मद मन्नान अहमद के नाम से है, को फर्जी ही माना जावेगा। साक्षी अमृतलाल गवरी अ.सा. 13 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि उसने आरोपी इलियास द्वारा महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय, इंदौर के द्वारा जारी किये गये फर्जी जन्म प्रमाण–पत्र के संबंध में तहरीर लेख कर जानकारी प्राप्त की थी जो प्रदर्श पी–19 है तथा उसके द्वारा बालक मनन जैन के असल जन्म प्रमाण–पत्र के संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय बाड़मेर, राजस्थान से पत्राचार कर जानकारी प्राप्त की थी जो प्रदर्श पी–20 है। उक्त प्रदर्श पी–19 और प्रदर्श पी–20 को किसी भी प्रकार की चुनौती इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में नहीं दी गई है। प्रदर्श पी–19 से यह स्पष्ट है कि रजिस्ट्रेशन नंबर बी–2023:9–90347–00222 व पंजीकरण क्रमांक–11.01.2022 अर्थात् प्रदर्श पी–16 के जन्म प्रमाण–पत्र के संबंध में जानकारी है, जिसमें संयुक्त

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

संचालक एवं अधीक्षक महोदय की ओर से स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि उक्त जन्म प्रमाण–पत्र उक्त विभाग से जारी नहीं किया गया है।

38. इस प्रकार यह बिना किसी संकोच के कहा जा सकता है कि प्रदर्श पी–16 का जन्म प्रमाण–पत्र एवं प्रदर्श पी–15 का आधारकार्ड जो कि मोहम्मद मन्नान अहमद के नाम से मनन जैन का बनाया गया है, वह कूटरचित दस्तावेज है तथा उक्त कूटरचना अभियुक्त जफर अली के द्वारा की गई है।

39. उपरोक्त विवेचना से यह भी प्रमाणित होता है कि अभियुक्त जफर अली द्वारा कूटरचना कारित की गई है और उसने मन्नान अहमद के नाम से मनन जैन का कूटरचित जन्म प्रमाण–पत्र एवं आधारकार्ड बनाया है। उक्त दस्तावेज बनवाने में अभियुक्तगण प्रार्थना एवं इलियास की संलिप्तता से कतई इंकार नहीं किया जा सकता और निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि मोहम्मद इलियास और प्रार्थना की संलिप्तता में उक्त दस्तावेजों की कूटरचना कारित की गई है, तब अभियुक्त मोहम्मद जफर का उक्त छल के अपराध में संलिप्त होना और सामान्य आशय के अग्रसरण में तीनों अभियुक्तगण द्वारा छल का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित होता है।

40. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त जफर अली द्वारा मोहम्मद मन्नान अहमद अर्थात् मनन जैन के आधारकार्ड और जन्म प्रमाण–पत्र की कूटरचना कारित की गई है और निःसंदेह यह तथ्य भी प्रमाणित हुआ है कि कूटरचना अभियुक्ता प्रार्थना एवं अभियुक्त इलियास की मंशा के विरूद्ध नहीं हो सकती थी। आधारकार्ड और जन्म प्रमाण–पत्र ऐसे दस्तावेज हैं जिनको मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में माना जाये। उक्त आधारकार्ड भारत सरकार का दस्तावेज है तथा जन्म प्रमाण–पत्र मध्यप्रदेश सरकार का दस्तावेज है। ऐसे दस्तावेजों की कूटरचना के संबंध में यही माना जावेगा कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में मनन जैन को मन्नान अहमद बताकर उक्त आधारकार्ड और जन्म प्रमाण–पत्र की कूटरचना कारित की है और इस प्रकार भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश के साथ छल कारित किया है। अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में मनन जैन को मन्नान अहमद बताकर उसका स्कूल में एडमिशन भी कराया है, जिसके संबंध में अंसार पटेल अ.सा. 04 ने यह कहा है कि अभियुक्त इलियास ने मनन के एडमिशन के लिये उसका आधारकार्ड और जन्म प्रमाण–पत्र उसे दिया था। इस प्रकार उक्त अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग किया जाना भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अभियुक्त इलियास द्वारा मनन जैन को मन्नान बताकर और स्वयं का पुत्र बताकर उसका खतना भी करवाया है, जिसको डॉ. अब्दुल लतीफ अ.सा. 05 एवं डॉ. तेजा सिंह अ.सा. 14 ने प्रमाणित किया है।

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

उक्त बालक का खतना करवाया जाना, वह भी यह जानते हुए कि वह अभियुक्त इलियास का पुत्र नहीं है, बल्कि अभियुक्ता प्रार्थना एवं उसके पति महेश कुमार जैन अ.सा. 01 से उत्पन्न पुत्र है, के संबंध में यही माना जावेगा कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में असम्यक् असर या धमकी या बल का प्रयोग करके उसका धर्म परिवर्तन कराया है, किंतु धर्म परिवर्तन कराये जाने से पूर्व उक्त बालक के नैसर्गिक पिता महेश कुमार जैन अ.सा. 01 की अनुमति आवश्यक थी। इस प्रकार **अभियुक्त इलियास** के विरूद्ध धारा–420, 467 सहपठित धारा–34, 468 सहपठित धारा–34, 471 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं धारा–05 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 एवं **अभियुक्ता प्रार्थना शिवहरे** के विरूद्ध धारा–420 सहपठित धारा–34, 467 सहपठित धारा–34, 468 सहपठित धारा–34, 471 सहपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं धारा–05 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 एवं **अभियुक्त मोहम्मद जफर** के विरूद्ध धारा–420 सहपठित धारा–34, 467, 468, एवं धारा–471 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं धारा–05 सहपठित धारा–34 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित पाया जाता है। अतः अभियुक्तगण को उक्त धाराओं के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

41. अभियुक्तगण न्यायिक निरोध में हैं।

42. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिये निर्णय कुछ देर के लिये स्थगित किया जाता है।

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

43. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण और अभियोजन को सुना गया। अभियुक्तगण का कहना है कि उनके प्रति नरम रूख अपनाया जावे। इसके विपरीत अभियोजन का कहना है कि अभियुक्तगण ने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है। अतः उन्हें कठोर दण्ड दिया जावे।

44. अभियुक्तगण द्वारा निश्चित रूप से गंभीर अपराध किया गया है। अभियुक्ता प्रार्थना विवाहिता होते हुए अभियुक्त इलियास के साथ भागी है और

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

अपने बच्चे मनन जैन के पिता का नाम मोहम्मद इलियास बताने और इस संबंध में आधारकार्ड और जन्म प्रमाण–पत्र की कूटरचना करने में कोई परहेज नहीं किया है। अभियुक्त मोहम्मद जफर अली यह जानता था कि अमुक बालक मनन जैन मोहम्मद इलियास और प्रार्थना से उत्पन्न पुत्र नहीं है उसके पश्चात् भी उसने उक्त महत्वपूर्ण मूल्यवान दस्तावेजों की कूटरचना कारित की है। अतः अभियुक्तगण को निम्न तालिका अनुसार दण्डित किया जाता है –

सी. क.	अभियुक्त का नाम	धारा		कारावास का दंडादेश	अर्थदंड	अर्थदंड संदाय में व्यतिकम करने की स्थिति में कारावास व दंडादेश
1.	मोहम्मद इलियास	1.	धारा–420 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	05 वर्ष सश्रम	5,000/– (पांच हजार रूपये)	01 वर्ष सश्रम
		2.	धारा–467 सहपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	10 वर्ष सश्रम	5,000/– (पांच हजार रूपये)	02 वर्ष सश्रम
		3.	धारा–468 सहपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	05 वर्ष सश्रम	5,000/– (पांच हजार रूपये)	02 वर्ष सश्रम
		4.	धारा–471 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	10 वर्ष सश्रम	5,000/– (पांच हजार रूपये)	02 वर्ष सश्रम
		5.	धारा–05 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020	07 वर्ष सश्रम	50,000/– (पचास हजार रूपये)	02 वर्ष सश्रम

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

2.	प्रार्थना शिवहरे	1.	धारा–420 सहपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	05 वर्ष सश्रम	5,000/– (पांच हजार रूपये)	01 वर्ष सश्रम
		2.	धारा–467 सहपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	10 वर्ष सश्रम	5,000/– (पांच हजार रूपये)	02 वर्ष सश्रम
		3.	धारा–468 सहपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	05 वर्ष सश्रम	5,000/– (पांच हजार रूपये)	02 वर्ष सश्रम
		4.	धारा–471 सहपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	10 वर्ष सश्रम	5,000/– (पांच हजार रूपये)	02 वर्ष सश्रम
		5.	धारा–05 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020	07 वर्ष सश्रम	50,000/– (पचास हजार रूपये)	02 वर्ष सश्रम
3.	मो. जफर	1.	धारा–420 सहपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	05 वर्ष सश्रम	5,000/– (पांच हजार रूपये)	01 वर्ष सश्रम
		2.	धारा–467 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	10 वर्ष सश्रम	5,000/– (पांच हजार रूपये)	02 वर्ष सश्रम
		3.	धारा–468 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	05 वर्ष सश्रम	5,000/– (पांच हजार रूपये)	02 वर्ष सश्रम
		4.	धारा–471 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	10 वर्ष सश्रम	5,000/– (पांच हजार रूपये)	02 वर्ष सश्रम

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

		5.	धारा–05 सहपठित धारा 34 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020	07 वर्ष सश्रम	50,000/– (पचास हजार रूपये)	02 वर्ष सश्रम

45. दी गई मूल कारावास की सजाएं साथ–साथ भुगतायी जावेंगी और अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दी गई सजाएं पृथक से भुगतायी जावेंगी।

46. अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत अवधि दी गई मूल कारावास की सजा में से समायोजित की जावेगी।

47. अभियुक्तगण का सजा वारण्ट जारी कर उन्हें जिला जेल, इंदौर में दाखिल किया जावे।

48. प्रकरण में जप्तशुदा मॉनिटर, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, सी.पी.यू., माउस, की–बोर्ड, एक थम्ब एम्प्रेशन मशीन, बिजली जंक्शन बोर्ड, तीन पिन का कनेक्टर, तीन काले रंग की पॉवर केबल और दो सफेद रंग की डाटा केबल अपील अवधि पश्चात् विक्रय की जावें एवं विक्रय से प्राप्त राशि राजसात् की जावे।

49. नालसा मोड्यूल के पालन में तीनों अभियुक्तगण को पृथक–पृथक निर्णय की प्रति तथा उनके अधिवक्तागण को निर्णय की प्रति तथा जेल अधीक्षक को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जावे।

निर्णय

आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/–

जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

सही/–

जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

सही/–
जितेन्द्र सिंह कुशवाह
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–इंदौर (म.प्र.)